



सं/No. 6/3/2003-वीएस (सीआरएस)सीएस

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi - 110066

तार : जनगणना / REGGELIND दूरभाष/Tele - फैक्स/Fax 26100678 ई-मेल - rgsrs@ndb.vsnl.net.in

दिनांक : 30 जुलाई, 2003

विषय : शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु पर स्पष्टीकरण।

देश के विभिन्न भागों में जन्म और मृत्यु की पंजीकरण इकाइयों का निरीक्षण करते समय यह देखा गया है कि कई स्थानों पर कुछ पंजीयकों द्वारा शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु शब्दों को गलत समझा जा रहा है, जबकि मृत्यु रिपोर्टिंग फार्म के सांख्यिकीय भाग के साथ-साथ 12 नंबर से मृत्यु की संक्षिप्त मासिक रिपोर्ट को अग्रेषित किया जा रहा है। यह देखा गया है कि जीवित वर्षों की आयु तक की मौतों को कई मामलों में शिशु मृत्यु माना जाता है। जबकि मातृ मृत्यु के मामले में अधिकांश महिला मृत्यु इस कॉलम के तहत दिखाई जाती है, चाहे मृतकों की आयु कुछ भी हो।

इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि आपके राज्य के सभी जिला पंजीयकों/पंजीयकों को स्पष्ट कट निर्देश जारी किए जाएं कि 'एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु' को केवल शिशु मृत्यु के रूप में गिना जाए। मातृ मृत्यु के मामले में निम्नलिखित नोट किया जा सकता है।

गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था की डिलीवरी/समाप्ति के बाद 42 दिनों (छह सप्ताह) के भीतर या गर्भावस्था की समाप्ति के बाद मां की मृत्यु, जो निश्चित रूप से गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से उत्पन्न स्थितियों के कारण ज्ञात होती है, केवल मातृ मृत्यु के रूप में शामिल किया जाएगा।

इसलिए अनुरोध किया जाता है कि रजिस्ट्रारों/जिला पंजीयकों को रिपोर्टिंग प्रपत्रों के सांख्यिकीय भाग के साथ फॉर्म संख्या 12 को अग्रेषित करते समय प्रविष्टियों की जांच करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए जाएं इसलिए इन संकेतकों पर सटीक आंकड़े प्राप्त किए जाएं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार यह संकलन किया गया है यह डेटा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी प्रयासों के लिए बच्चे के संकलन पर बुनियादी स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है।

इस संबंध में की गयी कार्यवाही से कृपया इस कार्यालय को सूचित करें।

(के. नारायण अनी)

उप महारजिस्ट्रार

सेवा में,
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

सूचनार्थ प्रति
समस्त जनगणना कार्य निदेशालय और संयुक्त महारजिस्ट्रार



प्रत्येक जन्म एवम् मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
“Ensure Registration of Every Birth and Death”